सहायक शिक्षक पंचायत की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

।। कार्यालय जनपद पंचायत धमधा, जिला–दुर्ग (छ0ग0) ।।

क्रमांक / /ज.पं./शि.क.नियु./2012 धमधा,दिनांक /10/2012

जनपद पंचायत धमधा में डाक द्वारा आवेदन पत्र कार्यालयीन दिवस एवं अवधि में जमा करने की अतिम तिथि : 20.10.2012 सायं 5.00 बजे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ शासन मंत्रालय रायपुर का ज्ञापन क्र/पंचा/192/पं.ग्रा.वि.वि./2012/1167 दिनांक21.08.2012 एवं छत्तीसगढ सहायक शिक्षक (पंचायत) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नवीन नियम अधिसूचना क्रमांक/पं/पं.ग्रा.वि.वि. /22/2012/1162 दिनांक 17.08.2012 कं अधीन जनपद पंचायत धमधा में स्कुल शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक शाला /हाई स्कुल/ हायर सेकेण्डरी में सहायक शिक्षक पंचायत/सहायक शिक्षक (पंचायत) उर्दु /सहायक शिक्षक पंचायत (विज्ञान) कें रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियो से आवेदन पत्र आंमत्रित किया जाते है। रिक्त पदो का विवरण निम्नानुसार हैं ।

(सहायक शिक्षक पंचायत)

क्र.	संकाय / विषय समूह का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार				(ब) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों मे से महिलाओं के लिये आरक्षित पदो की संख्या				(स) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों मे से विकलांग वर्ग के लिये पदो की संख्या				(द) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदो मे से भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदो की संख्या				(इ) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिये पदो की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	विज्ञान	22	5	6	5	7	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	13	2	4	3
2	कला	6	2	2	2	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1
3	उर्दू	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	योग	**29**	**7**	**9**	**7**	**9**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**-**	**-**	**2**	**1**	**1**	**1**	**16**	**3**	**6**	**4**

(UR – अनारक्षित, SC – अनुसूचित जाति, ST – अनुसूचित जनजाति, OBC – अन्य पिछड़ा वर्ग)

सहायक शिक्षक पंचायत हेतु न्युनतम अर्हताएँ :–

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

   अथवा

   न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिसद (मान्यता, मानदण्उ और कियाविधि) विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया होना साहिए ।

   अथवा

   न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्च्तर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष)
   न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

   अथवा

   प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जता हो)

   तथा

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिसद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये दिशा निर्देष के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।
3. उर्दु विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिषत अंको सहित उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा अथवा न्यूनमत 50 प्रतिषत अंको सहित उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा एवं जामिया–उर्दू–अलीगढ़ से अदीब–ए–माहिर, प्रमाण पत्र एवं प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम से दिया गया हो) तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

   टीप :– आरक्षण नीति :– आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःषक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हित अंको में 5 प्रतिशत तक की छुट दी जायेगी ।
4. विकलांग के लिये 6 प्रतिशत आरक्षित, जिसमें नेत्रहीन 2 प्रतिशत, श्रवण बाधित 2 प्रतिशत , अन्य 2 प्रतिशत ।
5. रिक्त पदों की संख्या आवष्यकतानुसार घटाई–बढ़ाई जा सकती है। जिसके लिए जनपद पंचायत का निर्णय अंतिम होगा ।
6. विज्ञापित पद शासकीय प्राथमिक शाला/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के सहायक शिक्षक पंचायत/सहायक शिक्षक (पंचायत) के लिए है।

विभागीय नियम एवं शर्ते

1) **वेतन रूपये :–** सहायक शिक्षक पंचायत के लिये वेतनमान – 3800–100–5800 ।

2) **पात्रता की शर्ते :–**

विज्ञान समूह :– विज्ञान समूह के केवल बायोलॉजी ग्रुप (भौतिकी ,रसायन,बॉयोलॉजी) एवं गणित ग्रुप (भौतिकी, रसायन, गणित) विषय मान्य होगा ।

2.1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र पस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

2.2 कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हे जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा । तत्संबंधी पृथक से शपथ पत्र देना आवश्यक होगा ।

2.3 कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ।

2.4 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छुट रहेगी) जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

3) **आयु सीमा :–**

3.1 दिनांक 01 जुलाई 2012 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो । आयु सीमा में छुट की पात्रता राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार होगी ।

3.2 अ.जा / अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत छानबीन समिति से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

4) **भर्ती का तरीका :–**

4.1 अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा । जिसके लिए10 वीं. प्राप्त अंको के प्रतिशत का 20 अंक, 12 वीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 50 अंक, डी.एड / बी.एड. में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 15 तथा टी.ई.टी. में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 15 अंक दी जावेगी ।

4.2 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनपद पंचायत का होगा ।

4.3 चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ संबंधित विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं चयनित अभ्यर्थियों को विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रो का संबंधित संस्था से सत्यापन कराया अनिवार्य होगा ।

4.4 चयनित उम्मीद्वार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा । तत्पश्चात नियमानुसार पुलिस चरित्र सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जावेगा । पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन में सेवा के योग्य न होने पर तत्काल सेवा समाप्त किया जावेगा ।

4.5 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

4.6 चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी ।

5) 5.1 आवेदकों द्वारा कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा प्रारूप अनुसार टंकित किया हुआ आवेदन पत्र मय सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ जमा करना आवश्यक होगा।

5.2 आवेदन पत्र कार्यालय जनपद पंचायत धमधा में डाक से (स्पीड पोष्ट/रजिस्टर्ड) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.10.2012 सायं 5.00 बजे तक । इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार से विचार नही किया जावेगा ।

6) राज्य सरकार के नियमों के अनुसार महिलाओं एवं भू.पू.सैनिको को आरक्षण की पात्रता होगी ।

(टीप :– विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद कार्यालय के सूचना पटल एवं www.durg.gov.in पर देखें जा सकते है।)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत धमधा

आवेदन पत्र का प्रारूप

सहायक शिक्षक (पंचायत) विषय ....हेतु आवेदन पत्र ।

(कला / विज्ञान / उर्दु)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत ....

जिला – दुर्ग

स्व प्रमाणित फोटोग्राफ

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी मे) :– ....

अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में

2. पिता / पति का नाम (हिन्दी में) :– ....

अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में

3. जन्म तिथि .... शब्दो में ....

दिनांक 01.09.2012 की स्थिति में आयु ....वर्ष.............माह............दिन.....................

4. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है ? ....(हॉ / नही)

(छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

5. वर्ग (अनु.जाति. / अनु.जन.जाति. / अ.पि.व. / सामान्य) उल्लेख करें :– ....

(आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

6. क्या आप निःशक्त है ? ....निःशक्तता का प्रकार......................................

(अस्थि / श्रवण / दृष्टि / अन्य) एवं प्रतिशत ....

(जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

7. क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते है। ....

8. शैक्षणिक योग्यता :— (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)

क्र.	परीक्षा का नाम	विषय समूह का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विष्वविद्यालय का नाम	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	हाई स्कूल						
2	हायर सेकण्डरी						
3	बी.एड. / डी. एड. / अन्य (स्पष्ट करें)						
4	टी.ई.टी.						
5	उर्दु						

9. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है ? (हॉ / नही) ....

(यदि हॉ तो प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

10. जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक ....नवीनीकरण तिथि.............

जिला रोजगार कार्यालय का नाम ....(प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

11. पत्राचार का पता :— ....

....

....

12. स्थायी पता :— ....

....

....

13. यदि आप शासकीय / अर्धशासकीय / निगम / मण्डल में सेवारत है तो निम्नलिखित विवरण देवें :—

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक	नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन का दिनांक

14. वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित) :— ....

यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :— ....

जीवित बच्चों की संख्या :— ....

क्रं	बच्चों के नाम	लिंग	जन्मतिथि

(सरपंच/पार्षद द्वारा जारी विवाह एवं जीवित संतान की संख्या संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

15. सहपत्रों की सूची (स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित :—

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

7 .... 8. ....

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे किसी भी स्तर पर चयन से वंचित / नियुक्ति समाप्त कर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी । मैंने यह आवेदन विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गये नियमों के अनुसार मुझे सहायक शिक्षक पंचायत विषय ....के पद हेतु आवेदन करने की पात्रता है। जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने एवं मेरे द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों के मान्यता संबंधित सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरा हैं

स्थान :— ....

दिनांक :— ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम :— ....

पता :— ....